न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 14/2025 (GCMS 2025/23)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
जसवंत सिंह श्री नखतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मालूसर तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		राज सरकार जरिये नायब तहसीलदार सांकड़ा जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

1. श्री किशन प्रताप सिंह राठौड़ (अधिवक्ता अपीलांट)
2. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार (रेस्पोडेण्ट की ओर से)

—::निर्णय::—

दिनांक 22.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, सांकड़ा द्वारा अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 73/2024 अनवान सरकार बनाम जसवंतसिंह दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में न्यायालय नायब तहसीदार सांकड़ा द्वारा संबंधित हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर अपीलांट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 11.12.2024 को नोटिस जारी कर अपीलांट को बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर निर्णय दिनांक 20.12.2025 को पारित कर अपलीलांट को ग्राम मालूसर के खसरा संख्या 22 रकबा 145.01 बीघा भूमि में रकबा 0.10 बीघा भूमि पर अतिकमी मानकर वार्षिक लगान रू. 0.08/– रूपये का 50 गुणा रूपये 10/– जुर्माना अधिरोपित करने एवं अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर पटवारी हल्का ओला को भूमि का कब्जा राजहक में लिये जाने के आदेश दिये गये। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका मुआयना करवाये बिना किसी विधिक प्रकिया को अपनाये, बिना साक्ष्य और सबूत के एक तरफा निर्णय दिनांक 20.12.2024 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों में वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट नायब तहसीलदार सांकड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम मालूसर के खसरा नम्बर 22 में अपीलांट जसवंत सिंह द्वारा ट्यूबवेल खोदकर अतिक्रमण किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज होने के बाद जसवंत सिंह द्वारा ट्यूबवेल का संचालन नहीं किया गया है। वर्तमान में ट्यूबवेल बंद है और इसे सिंचाई अथवा अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जा रहा है।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 14/2025 (GCMS 2025/23)

अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया है कि है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका मुआयना करवाये बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये, बिना साक्ष्य और सबूत के एक तरफा निर्णय दिनांक 20.12.2024 पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों में वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेण्ट के द्वारा कथन किया गया ग्राम मालूसर के खसरा नम्बर 22 में अपीलांट जसवंत सिंह द्वारा ट्यूबवेल खोदकर अतिक्रमण किया गया था। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोडेण्ट द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर